भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 6211

उत्तर देने की तारीख : 02.04.2026

पीएम विश्वकर्मा योजना

6211. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत शामिल व्यवसायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है और विशेषकर महाराष्ट्र में अभ्यर्थियों के बैंक खातों में किए गए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेषकर महाराष्ट्र में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत नियुक्त प्रशिक्षकों की संख्या कितनी है; और

(ङ) उक्त योजना के लिए स्थापित निगरानी और मूल्यांकन तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : पीएम विश्वकर्मा स्कीम दिनांक 17.09.2023 को अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 व्यवसायों के कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत कवर किए गए 18 व्यापारों में (i) कारपेंटर (सुथार/बढ़ई); (ii) नाव निर्माता; (iii) अस्त्रकार; (iv) धातुकर्मी/धातु कॉस्टर; (v) हथौड़ा और टूल किट निर्माता; (vi) ताला बनाने वाला; (vii) गोल्डस्मिथ (सुनार); (viii) पॉटर (कुम्हार); (ix) स्कल्पटर (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला; (x) कॉबलर (चर्मकार)/ जूते बनाने वाला/फुटवियर कारीगर; (xi) मेसन (राजमिस्त्री); (xii) टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाला/कैंयर बुनकर; (xiii) गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक); (xiv) बार्बर (नाई); (xv) गारलैंड मेकर (मालाकार); (xvi) वॉशरमैन (धोबी); (xvii) टेलर (दर्जी); और (xviii) मछली का जाल बनाने वाले शामिल हैं।

(ख) और (ग): पीएम विश्वकर्मा स्कीम केंद्रीय क्षेत्र की एक स्कीम है, इसलिए निधियाँ राज्य/जिला वार आवंटित नहीं की जाती हैं। दिनांक 30.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार, स्कीम के तहत व्यय की गई कुल राशि निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	**संशोधित अनुमान (आरई) (करोड़ रुपए में)**	**किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)**
2023-24	753.11	745.91
2024-25	3,993.78	3,993.10
2025-26	4,400	4438.44

महाराष्ट्र राज्य में, 2.13 लाख लाभार्थियों को मूलभूत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और आवेदकों के बैंक खातों में भेजे गए डीबीटी की राशि 88.83 करोड़ रुपए है।

(घ) : पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत प्रमाणित प्रशिक्षकों की संख्या 33,908 है।

(ङ) : पीएम विश्वकर्मा स्कीम को पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लाभ के लिए उनकी प्रभावी स्क्रीनिंग, सत्यापन और क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ त्रि-स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से संचालित किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर, स्कीम के क्रियान्वयन की निगरानी, सचिव, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग की सह-अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संचालन समिति की नियमित बैठकों के माध्यम से की जाती है।
